"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (38). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–09/2015/वा.कर (आब.)/पांच (23), दिनांक 30 मार्च, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्तियों के लिए, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :–

सारणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	मापदण्ड		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2	3		4
1.	एफ.एल.2 अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या रेस्टारेंट बार अनुज्ञप्ति)	क	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रू. 5,40,000/–
		ख	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रू. 7,70,000/–
		ग	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो,	रू. 10,20,000/–

2.	एफ.एल.3 अनुज्ञप्ति (होटल बार अनुज्ञप्ति)	क	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रू. 12,60,000/–
		ख	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रू. 18,00,000/–
		ग	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो,	रू. 24,00,000/–

2. नगर की सीमा से 10 कि. मी. की परिधि में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (38). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (38), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(38). — In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (h) of sub-Section (2) of section 62 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) read with sub-rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and supersession of the previous Notification No.F 10-09/2015/CT(Ex.)/V (23) Raipur Dated, 30 March 2015 issued in this behalf, the State Goverment hereby, prescribes the annual licence fee as shown in column (4) of the table given below for the licences mentioned in the column (2) according to the norms laid down in column (3) :-

TABLE

S. No.	Type of Licence	Norms		Annual Licence Fee
1	2	3		4
1.	F.L. 2 Licence (Public houses or Restaurant Bar Licence)	(a)	For city/place with population not more than one lakh,	Rs. 5,40,000/-
		(b)	For city/place with population, more than one lakh but not more than three lakhs,	Rs. 7,70,000/-
		(c)	For city/place with population, more than three lakhs,	Rs. 10,20,000/-

2.	F.L. 3 Licence (Hotel Bar Licence)	(a)	For city/place with population not more than one lakh,	Rs. 12,60,000/-
		(b)	For city/place with population, more than one lakh but not more than three lakhs,	Rs. 18,00,000/-
		(c)	For city/place with population, more than three lakhs,	Rs. 24,00,000/-

2. For the Hotel/Restaurant situated within a radius of 10 Km. of the boundary of a town the licence fee will be the same as applicable to such town.

3. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (39). –– छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–09/2015/वा.कर (आब.)/पांच (18), दिनांक 30 मार्च, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिए, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :–

सारणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	मापदण्ड		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2	3		4
1.	एफ.एल.3–क अनुज्ञप्ति (शॉपिंग माल रेस्टोंरेन्ट बार अनुज्ञप्ति)	क	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रु. 18,00,000/–
		ख	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रु. 24,00,000/–
		ग	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो,	रु. 31,20,000/–

2. नगर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के शॉपिंग मॉल में स्थित एफ.एल. 3–क लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5 / 2016 / वा.कर (आब.) / पांच (39). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5 / 2016 / वा.कर (आब.) / पांच (39), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(39). — In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (h) of sub-Section (2) of section 62 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) read with sub-rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and supersession of the previous Notification No. F 10-09/2015/CT(Ex.)/V (18) Raipur Dated, 30 March 2015 issued in this behalf, the State Goverment hereby, prescribes the annual licence fee as shown in column (4) of the table given below for the licence mentioned in the column (2) according to the norms laid down in column (3) :-

TABLE

S. No.	Type of license	Norms		Annual license fee
1	2	3		4
1.	F.L.3(A) (Shopping Mall Restaurant Bar licence)	(a)	For city/place with population not more than one lakh,	Rs. 18,00,000/-
		(b)	For city/place with population, more than one lakh but not more than three lakhs,	Rs. 24,00,000/-
		(c)	For city/place with population, more than three lakhs,	Rs. 31,20,000/-

2. For the Shopping Mall Restaurant Bar licence situated within a radius of 10 Km. of the boundary of a town the licence fee will be the same as applicable to such town.

3. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (40). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–09/2015/वा.कर (आब.) /पांच (21), दिनांक 30 मार्च, 2015 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिग प्राईस रूपये 1600/– (अक्षरी रूपये एक हजार छः सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ फुटकर दुकान से एफ.एल. 3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (40). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (40), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(40). — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and supersession of the previous Notification No.F 10-09/2015/CT(Ex)/V (21) Raipur Dated, 30 March, 2015 issued in this behalf, the State Goverment hereby, prohibits transport of such Foreign Liquor (excluding Beer) of which landing price is up to 1600/- (In words Rs. One Thousand Six Hundred) per case (i.e. 12 Quart bottles) from F.L.1D retail shop of Foreign liquor to the licensees of F.L. 3 (Hotel Bar Licence).

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (41). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिग प्राईस **रूपये** 1600/– (अक्षरी रूपये एक हजार छः सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ फुटकर दुकान से एफ.एल. 3–क अनुज्ञप्ति (शॉपिंग माल रेस्टोंरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (41). —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (41), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(41). — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Goverment hereby, prohibits transport of such Foreign Liquor (excluding Beer) of which landing price is up to Rs. 1600/- (In words Rs. One Thousand Six Hundred) per case (i.e. 12 Quart bottles) from F.L.1D retail shop of Foreign liquor to the licensees of F.L.3 (A) (Shopping Mall Restaurant Bar Licence).

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5 / 2016 / वा.कर (आब.) / पांच (42). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–09 / 2015 / वा.कर (आब.) / पांच (19), रायपुर दिनांक 30 मार्च, 2015 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिग प्राईस रूपये 1600 / – (अक्षरी रूपये एक हजार छः सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल.1घ फुटकर दुकान से एफ. एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) एवं एफ. एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5 / 2016 / वा.कर (आब.) / पांच (42). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5 / 2016 / वा.कर (आब.) / पांच (42), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(42). — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisagarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and supersession of the previous Notification No.F 10-09/2015/CT(Ex)/V (19) Raipur Dated, 30 March 2015 issued in this behalf, the State Goverment hereby, prohibits transportation of such Foreign liquor (excluding Beer) of which landing price is up to Rs. 1600/- (In words Rs. One Thousand Six Hundred) per case (i.e. 12 Quart bottles) from F.L.1D retail shop of Foreign liquor to the licensees of F.L. 4 (Civilian Club Licence) and F.L.4 (a) (Commercial Club Licence).

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (43). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) प्ररूप एफ.एल.2 की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (ख) में शब्द समूह, प्रति बल्क लीटर के लिये "रूपये बाईस" के स्थान पर शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये रूपये पचीस" प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्ररूप एफ.एल.3 की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह, प्रति प्रूफ लीटर या बल्क लीटर के लिये क्रमशः "रूपये साठ और रूपये बाईस" के स्थान पर शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये क्रमशः रूपये एक सौ सत्तर और रूपये पचीस" प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्ररूप एफ.एल.3–क की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक, प्रति प्रूफ लीटर या बल्क लीटर के लिये क्रमशः "रूपये 160/– तक और रूपये 22/–तक" के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक, "स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 170/– एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 25/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगा।

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (44). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) प्रारूप एफ.एल.–3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–7(क) में अंक "1500/–" के स्थान पर अंक "1600/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.3–क (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–6(ग) में अंक "1500/–" के स्थान पर अंक "1600/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–7(क) में अंक "1500/–" के स्थान पर अंक "1600/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–7(क) में अंक "1500/–" के स्थान पर अंक "1600/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (45). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) प्रारूप एफ.एल.–2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त कमांक 8 (क)" में शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.–3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त कमांक 8 (क)" में शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक" के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक" प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्रारूप एफ.एल.–3क (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक 9 (क) में शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक" के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक" प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक" के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक" प्रतिस्थापित किया जावे।

(5) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह "पूर्वान्ह 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक" के स्थान पर शब्द एवं अंक "पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक" प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (45). —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (45), दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT(Ex.)/V(45). — In exercise of the power conferred by Clause (d), (e), (f), (g) & (h) of sub-section (2) of Section-62 of the Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) read along with Sub Rule (13) of Rule-18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rule 1996, the State Government hereby further modifies Chhattisgarh Foreign Liquor Rule 1996 as

AMENDMENT

1. In the above Rules :-

(1) For the figure & word "10.00 AM to 10.30 PM," figure & word "10.30 AM to 10.00 PM" shall be substituted in the condition No. 8(a) of Form F.L.-2 (Restaurant Bar License)

(2) For the figure & word "10.00 AM to 11.00 PM," figure & word "10.30 AM to 10.00 PM" shall be substituted in the condition No. 8(a) of Form F.L.-3 (Hotel Bar License)

(3) For the figure & word "10.00 AM to 11.00 PM," figure & word "10.30 AM to 10.00 PM" shall be substituted in the condition No. 9(a) of Form F.L.-3a (Shopping Mall Restaurant Bar License)

(4) For the figure & word "10.00 AM to 11.30 PM", figure & word "10.30 AM to 11.00 PM" shall be substituted in the condition No. 8(a) of Form F.L.-4 (Civilian Club License)

(5) For the figure & word "10.00 AM to 11.30 PM", figure & word "10.30 AM to 11.00 PM" shall be substituted in the condition No. 8(a) of Form F.L.-4a (Commercial Club License)

2. This amendment shall be applicable from 01-04-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (46). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों के अधिसूचना क्रमांक–14–पांच–पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी 1960 के अधीन प्रकाशित आबकारी नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–8 के उप–नियम (2–क) के स्थान पर निम्नांकित शर्त क्रमांक– 8 के उप–नियम (2–क) प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

   "(2–क)– उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी दुकानें जिनकी अनुज्ञप्ति प्रारूप एफ.एल.–1, एफ.एल.–1कक, एफ.एल.–1ख, एफ.एल.–1अ, एफ.एल.–1घ, एफ.एल.–2, एफ.एल.–3, एफ.एल.–3क, सी.एस.–2, सी.एस.–2क, सी.एस.–2घ, सी.एस.–2ड़, तथा सी.एस.3 में है, पूरे वर्ष भर 10:30 बजे पूर्वान्ह से 10:00 बजे अपरान्ह तक खुली रहेगी, सिवाय उन क्लब अनुज्ञप्तियों के जिनकी अनुज्ञप्तियां एफ.एल.–4 एवं एफ.एल.–4क है, 10:30 बजे पूर्वान्ह से 11:00 बजे अपरान्ह तक खुली रहेगी।"

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगा।

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर (आब.)/पांच (47). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में नियम–8 के उपनियम (1) के खण्ड (ट–1) के पश्चात् नवीन खण्ड (ट–2) स्थापित किया जावे :–

"(ट–2)– वर्ष 2016–17 के लिये एफ.एल.–10 अनुज्ञप्तिधारी पर उसके गोडाउन से समस्त विदेशी मदिरा के निकासी पर 01 अप्रैल 2016 से 1.00 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ड्यूटी अधिरोपित की जावेगी।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.